परगना मजिस्ट्रेट के फौजदारी न्यायालय के कार्य

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत)

धारा 97 द०प्र०सं० – जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी परिस्थितियों में जबरन छिपाया जाता है जिसमें वह रुकावट/छिपाहट अपराध की कोटि में आता है तो उस व्यक्ति के लिए तलाशी वारन्ट जारी किया जाता है।

धारा 98 द०प्र०सं० – जब किसी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा अपने पास रोका गया है तो उस महिला/बालिका की तलाशी के लिए धारा 98 द०प्र०सं० के तहत तलाशी वारण्ट जारी कर न्यायालय में तलब किया जाता है एवं उसकी मर्जी जानने के बाद कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र किया जाता है।

धारा 107/116 द०प्र०सं० – क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने हेतु शांति भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध इस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है और उन्हें शांति बनाये रखने हेतु व्यक्ति बन्ध पत्रों/जमनतों से 1 वर्ष के लिए पाबन्द किया जाता है।

राजस्व विभाग के अभिलेख

● **खसरा** : गाँव के समस्त भूखण्डों की संख्याओं का क्रमानुसार एक समेकित रजिस्टर है, जिसमें प्रत्येक भूखण्ड की संख्या, क्षेत्रफल, संबंधित काश्तकार का नाम और सिंचाई के साधन, कुएँ आदि का विवरण अंकित होता है, इस रजिस्टर में खरीफ, रबी या जायद फसलों के बारे में संबंधित भूखण्ड तथा यदि उस भूखण्ड में पेड़ व बाग आदि लगे हैं, तो उसका भी संक्षेप में यह रजिस्टर प्रत्येक भूमिखण्ड की मौके की भौतिक दशा को प्रदर्शित करता है। यह प्रत्येक वर्ष लेखपाल द्वारा 1 से 10 अगस्त के बीच बनाया जाता है। इसकी पड़ताल लेखपाल द्वारा खरीफ फसल हेतु 10 से 25 सितम्बर तक, रबी हेतु 1 जनवरी से 15 फरवरी तथा जायद की 1 मई से 31 मई तक की जाती है। खसरे की नकल दो रुपये देकर लेखपाल से प्राप्त की जा सकती है।

● **खतौनी** : यह किसी भी गाँव में खेती करने वाले काश्तकारों का एक समेकित रजिस्टर है, जिसमें प्रत्येक काश्तकार का नाम, श्रेणीवार संक्रमणीय (बेच सकने वाले), असंक्रमणीय (जमीन नहीं बेच सकने वाले) भूमिधर व आसामी खाते में वर्णमाला क्रम के अनुसार दर्ज होता है। इसमें गाँव सभा भूमि भी दर्ज होती है। जैसे–चकरा रोड। यह प्रत्येक छः वर्ष में एक बार तैयार की जाती है तथा जब कभी भी स्वामित्व में परिवर्तन होता है अथवा जमीन दूसरे के नाम दर्ज होती है तो उसका भी इन्द्राज किया जाता है। खतौनी की नकल दो रुपये देकर लेखपाल से प्राप्त की जा सकती है। इसे कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

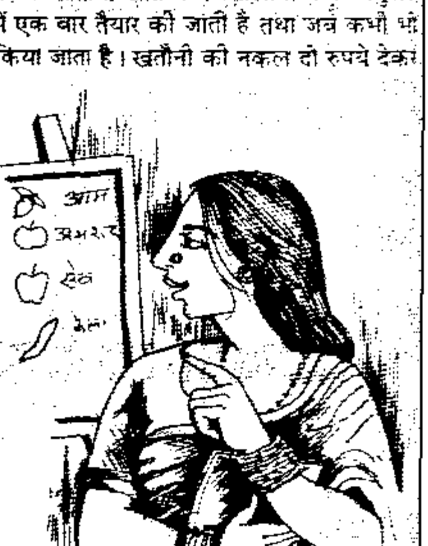

● **पक-11 क** : यह मृतक भूमि खातेदार व्यक्तियों व उनके उत्तराधिकारियों की सूची है। सरकार द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों का नाम किसी विवाद के न होने पर 30 दिन के अन्दर ही खतौनी में दर्ज कर दिये जायें। लेखपाल पक -11 फार्म पर राजस्व निरीक्षक से आदेश प्राप्त कर खतौनी में वारिसों के नाम भूमि कर देता है।

● **भूमि का नक्शा** : प्रत्येक ग्राम का बंदोबस्त के बाद एक नक्शा तैयार किया जाता है। जिसमें प्रत्येक खेत को एक अलग नम्बर से दिखाया जाता है। इसमें हरेक खेत की माप निकाली जा सकती है।

● **बंदोबस्त रजिस्टर** : रिकार्ड ऑपरेशन और चकबंदी प्रक्रिया के बाद प्रत्येक खातेदार द्वारा धारित की गई भूखंड संख्या क्षेत्रफल व मालगुजारी का विवरण इस रजिस्टर में संक्रमणीय, असंक्रमणीय व आसामी के लिये अलग-अलग श्रेणी में वर्णमाला क्रम से दर्ज होता है। गाँव सभा व सरकारी भूमि भी इस रजिस्टर में दर्ज होती है। इस रजिस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकताहै। इस रजिस्टर की एक कापी लेखपाल के पास व एक प्रति रिकार्ड ऑफिस में सुरक्षित रहती है।

"साक्षरता केवल अंगूठा निशानी से छुटकारा नहीं है, यह शिक्षा का गुणात्मक विकास और शिक्षा के लिए जागरूक समाज बनाने का अपना अभियान है।"